

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/1/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में 05 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2019 में विचार किया गया ।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी (अपर संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 15 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के अधिसमय (संचालक) वेतनमान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 16 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमांक
1	2	3	4
1	श्री नितिन नांदगांवकर	संचालक, पेशन, बीमा एवं भविष्य निधि, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
2	श्रीमती ज्योति गोलाईत	वित्त नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
3	डा. श्रीमती सुषमा दुबे	अपर संचालक, संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
4	श्री सतीश चन्द्र दुबे	उप सचिव, वित्त, मंत्रालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
5	श्री मनोज श्रीवास्तव	वित्त सलाहकार, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
6	श्री संजय श्रीवास्तव	अपर संचालक वित्त, कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
7	श्री रणजीत सिंह चौहान	संचालक (बजट), कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
8	श्री जुगल किशोर शर्मा	अपर संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
9	डा. राजीव सक्सैना	अपर संचालक वित्त, कार्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
10	श्रीमती सन्ध्या श्रीवास्तव	वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
11	श्री महेन्द्र पाल सिंह निरंजन	वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मंत्रालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
12	श्री भगवान दास डोहर	अपर संचालक वित्त, प्रशासन अकादमी, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से


nas
07.01.2019

- 2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से अधिसमय वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 06.10.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।
- 3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
07.01.2019
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 07/01/2019

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/1/2019/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
 2. प्रबंध निदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल,
 3. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन/वन/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 4. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
 5. प्रमुख सचिव वित्त/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/जल संसाधन/खाद्य एवं नागरिक
 6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 7. आयुक्त, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
 8. संचालक, प्रशासन अकादमी/प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, /पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल,
 9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल,
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
 11. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/इंदौर/जबलपुर /रीवा/उज्जैन/ग्वालियर/सागर
 12. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल/विन्ध्याचल भवन/सतपुडा भवन, भोपाल,
 13. संबंधित अधिकारीगण
- के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को अधिसमय वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।
14. गार्ड फाईल.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/1/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में 05 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2019 में विचार किया गया ।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के प्रवर श्रेणी (संयुक्त संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 14 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी (अपर संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 15 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री रणजीत सिंह मुजाल्दा अजजा	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
2	श्री घनश्याम सिंह	संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
3	श्री शिव कुमार अ.जा.	संयुक्त संचालक वित्त, एड्स नियंत्रण सोसायटी, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
4	श्री अखिल कुमार वर्मा	संयुक्त संचालक वित्त, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
5	श्री दिनेश कुमार द्विवेदी	संयुक्त संचालक, वित्त पंचायती राज संचालनालय,, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
6	श्रीमती वीणा जैन	संयुक्त संचालक वित्त, आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर	दिनांक 06.10.2018 से
7	श्री गोपाल प्रसाद सिंह	वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
8	श्री अदिति कुमार त्रिपाठी	उप सचिव, संस्कृति एवं वाणिज्यिक कर, मंत्रालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
9	श्रीमती सुजाता रघुवंशी	संयुक्त संचालक वित्त, मनरेगा परिषद्, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
10	श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता	प्रतिनियुक्ति पर डी.एस.आई.आई.डी.सी. दिल्ली सरकार, नई दिल्ली	दिनांक 06.10.2018 से
11	श्री प्रवीण कुमार सिंह	संभागीय पेंशन अधिकारी, रीवा	दिनांक 06.10.2018 से
12	श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी	संयुक्त संचालक, संचालनालय, पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
13	श्री जितेन्द्र सिंह	संयुक्त संचालक वित्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से


07.01.2019

14	श्री अंजनी कुमार सिंह	संयुक्त संचालक, कार्या.प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
15	श्री सुरेन्द्र नाथ चौबे	संयुक्त संचालक वित्त, पशुपालन विभाग, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
16	श्री जगदीश सिंह भदौरिया	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, उज्जैन	दिनांक 06.10.2018 से
17	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	उप सचिव वित्त, मंत्रालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
18	श्री पंकज मोहन	संयुक्त संचालक वित्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
19	डॉ.विजय मोहन चौधरी	संयुक्त संचालक वित्त, कौशल विकास मिशन, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
20	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	संभागीय पेंशन अधिकारी, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 06.10.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
07.01.2019
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 07/01/2019


पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/2/2019/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल,
3. निदेशक, डी.एस.आई.आई.डी.सी. दिल्ली सरकार, नई दिल्ली
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/पशुपालन, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव वित्त/नगरीय आवास एवं विकास/ स्कूल शिक्षा//वाणिज्यिक कर/तकनीकी शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग,/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ मंत्रालय, भोपाल
6. सचिव, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
8. आयुक्त, स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वाणिज्यिक कर, इंदौर/मनरेगा परिषद्/तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास/पशुपालन/राज्य शिक्षा केन्द्र,/पंचायती राज/भोपाल
9. संचालक पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि/संस्कृति/एड्स नियंत्रण सोसायटी, भोपाल
10. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल
11. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/उज्जैन, रीवा,

12. संभागीय पेंशन अधिकारी ,रीवा,भोपाल
13. संबंधित कोषालय अधिकारी.....
14. संबंधित अधिकारीगण.....

के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को अधिसमय वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।

15. गार्ड फाईल.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

क्रमांक एफ-5(ए)/1/2019/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 04 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2019 में विचार किया गया ।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी (उप संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के प्रवर श्रेणी (संयुक्त संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 14 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री महेश कुमार कोरी	उपायुक्त वित्त, नगर पालिक निगम, सतना	दिनांक 06.10.2018 से
2	श्री रूपेश कुमार पठवार	अवर सचिव, वित्त, मंत्रालय	दिनांक 06.10.2018 से
3	श्री सिद्धार्थ स्वरूप गौतम	लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर	दिनांक 06.10.2018 से
4	श्री संतोष कुमार चोखान्दे	उप संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
5	श्रीमती अंजू सिंह	वरिष्ठ प्रबंधक, वित्त, पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
6	श्रीमती आरती शर्मा	जिला पेंशन अधिकारी, सीहोर	दिनांक 06.10.2018 से
7	श्री जुवान सिंह तोमर	जिला पेंशन अधिकारी, नीमच	दिनांक 06.10.2018 से
8	श्री नीरज कुमार मरावी	उप संचालक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
9	श्री पारस उईके	अवर सचिव वित्त, मंत्रालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से
10	श्रीमती सुषमा ठाकुर	प्रशासकीय अधिकारी, एम.वाय. चिकित्सालय, इंदौर	दिनांक 06.10.2018 से
11	श्री तेरसिंह बघेल	जिला पेंशन अधिकारी, अलीराजपुर	दिनांक 06.10.2018 से
12	श्री नीलकमल नरें	जिला पेंशन अधिकारी, अनूपपुर	दिनांक 06.10.2018 से
13	श्री अजय पाल सिंह अवास्या	जिला पेंशन अधिकारी, देवास	दिनांक 06.10.2018 से
14	श्रीमती नीलम भलावी	उप संचालक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	दिनांक 06.10.2018 से



07.01.2019

15	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	जिला पेंशन अधिकारी, झाबुआ	दिनांक 06.10.2018 से
16	श्री प्रदीप मरकाम	वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल	दिनांक 06.10.2018 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 06.10.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,


(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 02/01/2019

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/3/2019/ई/चार,
प्रतिलिपि:-


1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. प्रमुख सचिव वित्त/सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक)/स्कूल शिक्षा/नगरीय आवास एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. आयुक्त, स्कूल शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
7. संभागीय आयुक्त,.....
8. आयुक्त नगर पालिक निगम, सतना
9. प्रबंध संचालक/संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम/ पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि, भोपाल
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,.....
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल,
12. डीन, एम.वाय.चिकित्सालय, इंदौर/नेताजी सुभाष चन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
13. कलेक्टर उज्जैन/इंदौर/भोपाल/शहडोल / सीहोर/नीमच/अलीराजपुर/अनूपपुर/देवास/झाबुआ/सतना
14. संभागीय पेंशन अधिकारी, उज्जैन/इंदौर/भोपाल/शहडोल
15. जिला पेंशन अधिकारी, सीहोर/नीमच/अलीराजपुर/अनूपपुर/देवास/झाबुआ
16. संबंधित कोषालय अधिकारी.....

17. संबंधित अधिकारीगण.....

के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को अधिसमय वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।

18. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग